

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आदेश

प्रार्थी के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की अनुसरण में पटवार हल्का लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को चक 4 M.M.K. की जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या एवं जमाबन्दी सम्वत	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	लीलांवाली	4 M.M.K 119/91 2073-2076	प्रमिला पत्नी श्रीधर सिंह	प्रमिला पत्नी श्रीधर सिंह

नोट :- शेष प्रविष्टि / यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन है तो यथावत रहेगा।



(रमेश देव)

प्रशासनिक अधिकारी संगरिया (S.D.O.)
जिला हनुमानगढ़ लीलांवाली
21/6/23

क्रमांक :- सम/735

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्रीमती प्रमिला w/o श्रीधर सिंह जाति जाट
3. आदेश पत्रावली।

कार्यालय तहसीलदार (भू-अ.) संगरिया

क्रमांक / 136 CR ACT / CR / 023

मूल ही पटवारी हल्का लीलांवाली उक्त आदेशानुसार पालना देना सुनिश्चित करें।

मंहगाई राहत कॅम्प एवं प्रशासन गावों के संग 2023 लीलांवाली 21/6/23

तहसीलदार (भू.अ.) संगरिया